



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 13.10.2021

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 250 ग्राम अवैध गांजा के गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 13.10.2021 को समय करीब 07.30 बजे गली नं0-3 राहुल गार्डन से एक अभियुक्त रनवीर पुत्र बंसीलाल नि0 गली नं0-3 राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को 250 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

रनवीर पुत्र बंसीलाल नि0 गली नं0-3 राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0स0 915/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

अभियुक्त सलीम उपरोक्त से बरामद का विवरण-

250 ग्राम गांजा अवैध

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 श्री लोकेन्द्र कुमार थाना लोनी बोर्डर।
- 2- उ0नि0 अमित कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
- 3-का0 3778 पवन कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।
- 4- का0 166 कपिल कुमार थाना लोनी बोर्डर गा0बाद।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक अभियुक्त को 67 पच्चे असली सन्तरा

मसालेदार शराब हरियाणा मार्का व 20 पच्चे रेस अग्रेजी शराब के साथ किया गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बोर्डर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बोर्डर पुलिस की टीम व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 12.10.21 को समय 15.30 बजे राहुल गार्डन बुद्ध बाजार से अभि0 प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 चमारी महतो नि0 बेहटा हाजीपुर राहुल गार्डन थाना लोनी बोर्डर गा0बाद को 67 पच्चे असली सन्तरा मसालेदार शराब हरियाणा मार्का व 20 पच्चे रेस अग्रेजी शराब के साथ के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रमोद कुमार पुत्र स्व० चमारी महतो नि० बेहटा हाजीपुर राहुल गार्डन थाना लोनी बार्डर गा०बाद उम्र 44 वर्ष ।

अभियुक्त प्रमोद का आपराधिक इतिहास:-

1- मु०अ०सं० 912/2021 धारा 60/63 आबकारी अधि० थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त प्रमोद से बरामदगी का विवरण-

67 पच्चे असली सन्तारा मसालेदार शराब हरियाणा मार्का व 20 पच्चे रेस अंग्रेजी शराब गिरफ्तार करने वाली टीम -

1-आबकारी निरीक्षक सीलम मिश्रा सैक्टर 03 गाजियाबाद ।

2.उ०नि० लोकेन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद ।

3.उ०नि० अमित कुमार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद ।

4.आबकारी का० निसार खाँ सैक्टर 03 गाजियाबाद ।

थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को नाजायज चाकू के गिरफ्तार किया गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद व प्रभारी निरीक्षक लोनी बार्डर गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 12.10.2021 को समय करीब 22.00 बजे निकट बेहटा पुलिया से एक अभियुक्त तरुण पुत्र चरणदास निवासी रतिराम कालोनी नियर दुर्गा माता मन्दिर नरेश डाक्टर के पास बैहटा रेलवे स्टेशन थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद को एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

तरुण पुत्र चरणदास निवासी रतिराम कालोनी नियर दुर्गा माता मन्दिर नरेश डाक्टर के पास बैहटा रेलवे स्टेशन थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु०अ०सं० 913/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।

अभियुक्त तरुण उपरोक्त से बरामद का विवरण-

01 नाजायज चाकू वरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1-उ०नि० श्री अमित कुमार थाना लोनी बार्डर ।

2- का० 1380 मोनू कुमार थाना लोनी बोर्डर गा०बाद ।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा एन०सी०आर० क्षेत्र में धमकी देकर 03 लाख की फिरौती माँगने के मामले में एक नफर अभि० मय एक अदद नाजायज चाकू व घटना में प्रयुक्त मोबाईल सहित गिरफ्तार ।

दिनांक 12.10.21 को मु०अ०सं० 770/21 धारा 386 भादवि के वादी अंकुर गर्ग नि० वैशाली द्वारा सूचना दी गयी कि मोबाईल से 03 लाख रुपये की फिरौती की माँग की जा रही है नहीं देने पर उसे व उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है।

उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.10.2021 को वैशाली मेट्रो स्टेशन के पिछे से एक अभियुक्त अर्जुन पुत्र सत्यपाल सिंह नि0 अल्लापुर थाना पचावर जिला मैनपुरी उम्र करीब 19 वर्ष को मय एक अदद नाजायज चाकू व प्रयुक्त मोबाईल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक हिरासत मे भेजा जा रहा है।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त द्वारा फोन द्वारा जान से मारने की धमकी देकर फिरौती माँगकर अवैध रूप से धन अर्जित करना।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

1. अर्जुन पुत्र सत्यपाल सिंह नि0 अल्लापुर थाना पचावर जिला मैनपुरी उम्र करीब 19 वर्ष।

अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 770/2021 धारा 386 भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद
 2. मु0अ0सं0 771/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद
- व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सचिन मलिक
2. उ0 नि0 श्री वरुण प्रताप
3. का0 2578 पवन कुमार,
4. का0 948 विकास कुमार



स्वाट टीम व थाना कविनगर एवं मसूरी, जनपद गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही द्वारा विभिन्न नामचीन कम्पनियों के नाम पर नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाभोड़ व भारी मात्रा में तैयार नकली मोबिल ऑयल बरामद जिसकी अनुमानित कीमत करीब 05 करोड़ रुपये

अवगत कराना है दिनांक: 12.10.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गाजियाबाद महोदय के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक, अपराध एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में स्वाट टीम व थाना कविनगर एवं मसूरी जनपद गाजियाबाद की संयुक्त कार्यवाही के द्वारा थाना कविनगर क्षेत्र स्थित नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री तथा तैयार माल एवं थाना मसूरी क्षेत्र स्थित आकाश नगर से भारी मात्रा में तैयार नकली मोबिल ऑयल बरामद किया गया। गाजियाबाद पुलिस की सूचना पर थाना पिलखुआ, जनपद हापुड़ की पुलिस द्वारा मोबिल ऑयल बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई। जिनमें मुख्यतः सर्वो कम्पनी, एच0पी0 कम्पनी व

अन्य कम्पनियों का नकली माल बरामद हुआ। जिसमें लगभग 05 करोड़ का नकली मोबिल ऑयल जब्त किया गया।

पूछताछ का विवरण :-

यह लोग सभी नामचीन कम्पनियों के नकली बाल्टी, बोतल, पाउच इत्यादि बिल्कुल असली की तरह दिखने वाले ऑयल को तैयार करने के लिए ट्रान्सफार्मर का जले हुए तेल को एवं सर्विस सेंटरों से एकत्रित वाहनों से निकले पुराने मोबिल ऑयल को बायलर में गर्म करके क्रेक एवं रिसाईकल करके उसमें असली कम्पनी के रंग के हिसाब से रंग मिलाकर, जिससे काला तेल उसी रूप-रंग में बदल जाये और असली ऑयल की तरह दिखने लगे, को तैयार कर अलग-अलग मात्रा में उन्ही कम्पनियों के नकली डिब्बों एवं पाउच में पैकिंग करके बाजार में असली बताकर बेचते हैं। इस नकली ऑयल से वाहन के इंजन की कार्यक्षमता घटकर 2000-3000 कि०मी० से 200-400 कि०मी० में ही नष्ट हो जाता है, जिससे इंजन सीज हो जाता है। बड़ी गाड़ियां 10000 कि०मी० असली ऑयल से चलती हैं तथा इनका नकली ऑयल से 2000 कि०मी० में ही सूख जाता है और इंजन खराब हो जाता है। आम जनता के लिए यह सुनिश्चित कर पाना बहुत मुश्किल है कि इसमें क्या नकली है और क्या असली है। आम आदमी अपनी मेहनत की कमाई से अल्प धन संचित कर अपनी सुविधा के लिए वाहनों को क्रय करता है तथा इनके नकली तेल का इस्तेमाल असली समझकर करने से अल्प समय में ही उसके वाहन चलने की अवस्था में नहीं रहते हैं। इनके इस कृत्य द्वारा जनता के साथ-साथ सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंच रही थी

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण :-

सौरभ गिरी पुत्र लच्छी गिरी निवासी आर०के०पुरम गोविन्दपुरम हाल पता ई-1 कृष्णा गार्डन एन्कलेव एनडीआरएफ रोड़ थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद

जयचन्द पुत्र हरस्वरूप निवासी म०नं० 709 कैलाश नगर थाना विजयनगर गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम कुराली थाना जानी मेरठ

नाम पता वांछित अभियुक्तगण :-

लच्छी गिरी पुत्र स्व० मानसिंह गिरी निवासी ग्राम अल्लीपुर चितसोना थाना बीबीनगर बुलन्दशहर हाल पता ए-54 आर०के०पुरम, गोविन्दपुरम, थाना कविनगर गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण :-

- 160 पेटी 2T ऑयल के पाउच, जिसमें प्रत्येक पेटी में 150 पाउच हैं।
- 70 पेटी 2T ऑयल पाउच, जिसमें प्रत्येक पेटी में 300 पाउच हैं।
- 30 पेटी इंजन ऑयल, जिसमें प्रत्येक पेटी में 500 मि०ग्रा० के 40 पीस हैं।
- 20 पेटी इंजन ऑयल, जिसमें प्रत्येक पेटी में 1 लीटर के 20 पीस हैं।
- 4000 ढक्कन बोतल के ऊपर लगाने वाले
- 50,000 सर्वो ऑयल स्टीकर
- 04 पीस सर्वो 2T ऑयल पैकिंग शोल
- 03 मशीन 2T ऑयल पाउच पैकिंग मशीन
- 5500 पीस सर्वो कैप 01 लीटर
- 08 कार्टून स्टीकर
- 19 पीस सर्वो टर्वो ऑयल 20W40 ऑयल
- 56 पीस सर्वो सुपर मल्टीग्रेड 20W40 ऑयल
- 73 पीस सर्वो सुपर 20W40 ऑयल
- 54 पीस सर्वो सुपर
- 75 ड्रम करीब 210 लीटर ऑयल प्रत्येक में

02 टैंक करीब 20,000 लीटर ऑयल
453 ड्रम करीब 210 लीटर ऑयल प्रत्येक में
257 ड्रम खाली 210 लीटर
34 कैन 50 लीटर प्रत्येक में ऑयल
36 कार्टून 01 कार्टून में 900 मि0ग्रा0 के 12 पीस
26 बाल्टी 20 लीटर टैफे
40 बाल्टी 10 लीटर ईएलएफ
33 बाल्टी 05 लीटर ईएलएफ
62 पीस सर्वो ट्रेक्टर ऑयल 2T ऑयल प्रत्येक में 7.5 लीटर
05 पीस सर्वो सुपर ऑयल 2T ऑयल प्रत्येक में 10 लीटर
04 पीस सर्वो प्रायड ऑयल 15W40 प्रत्येक में 10 लीटर
03 पीस सर्वो प्रीमियम ऑयल 20W40 प्रत्येक में 10 लीटर
04 पीस सर्वो सुपर ऑयल 20W40 प्रत्येक में 7.5 लीटर
02 पीस सर्वो प्रीमियम ऑयल 20W40 प्रत्येक में 7.5 लीटर
01 पीस सर्वो सुपर मल्टीग्रेड ऑयल 20W40 प्रत्येक में 7.5 लीटर
27 पीस सर्वो सुपर मल्टीग्रेड ऑयल 20W40 प्रत्येक में 20 लीटर
05 पीस सर्वो गीयल सुपर ऑयल 80W40 प्रत्येक में 20 लीटर
04 पीस सर्वो प्रीमियम ऑयल 20W40 प्रत्येक में 15 लीटर
02 पीस सर्वो प्रीमियम ऑयल CF4 150W40 प्रत्येक में 20 लीटर
01 पीस सर्वो प्रायड ऑयल CF4 150W40 प्रत्येक में 20 लीटर
04 पीस सर्वो मिक्स ऑयल CF4 150W40 प्रत्येक में 20 लीटर
23 खाली बाल्टी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द प्रकाश मिश्र स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री अरुण कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री प्रजन्त त्यागी स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री सतवीर सिंह स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री अरुण कुमार वर्मा स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री संजीव कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री सौरभ शुक्ल स्वाट टीम गाजियाबाद
उ0नि0 श्री हेमेन्द्र कुमार बालियान थाना कविनगर गाजियाबाद
उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना मसूरी गाजियाबाद
हे0का0 1469 खुशींद आलम स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 117 बालेन्द्र स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 1297 सौरभ सोलंकी स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 1495 अनुज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 1224 चन्द्र शेखर स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 1564 आशुतोष सिंह स्वाट टीम गाजियाबाद
का0 1013 सुनील पंवार स्वाट टीम गाजियाबाद
का0 2355 नीरज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
का0 2388 संदीप कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 1367 संदीप कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
हे0का0 748 सचिन कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
का0 1550 नितिन कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
का0 1363 मनीष कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद
का0 921 विनय खैवाल स्वाट टीम गाजियाबाद

का0 2003 सचिन बालियान स्वाट टीम गाजियाबाद

का0 131 मनोज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद

का0 2554 मनोज कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद

का0 सहचालक 1099 सतीश कुमार स्वाट टीम गाजियाबाद

का0 112 कुन्दन थाना कविनगर गाजियाबाद

हे0का0 भूदयाल थाना मसूरी गाजियाबाद

का0 प्रशान्त थाना मसूरी गाजियबाद

साइबर सेल एंव थाना-इन्द्रापुरम जनपद-गाजियाबाद पुलिस द्वारा पॉलिसी मैच्योरिटी करने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के पति-पत्नि सहित 03 सदस्य गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत दिनांक 12/10/2021 को पॉलिसी मैच्योरिटी करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का फर्दाफाश करते हुये 03 शातिर अभियुक्तगणों को समय 17.30 बजे कनावनी क्षेत्र इन्द्रापुरम से गिरफ्तार किया गया। थाना-इन्द्रापुरम पर मु0अ0सं0-2173/2021 धारा 406/386/506 भादवि व 66डी आईटी एक्ट दर्ज थाना- इन्द्रापुरम गाजियाबाद पंजीकृत है, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका- अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर अपने अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर ठगी का गिरोह चलाते हैं। फर्जी आईडी पर सिम तथा फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवा लेते हैं, फर्जी नम्बरों से कॉल करके पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पर स्वयं को HDFC, IRDA, वित्त मंत्रालय का अधिकारी/कर्मचारी बताकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपने फर्जी बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। तथा ठगी के पैसों को 04 हिस्सों में बराबर-बराबर बांट लेते हैं। सभी गिरफ्तार एंव फरार अभियुक्त एक साथ नोएडा की प्राइवेट इंश्योरेंस कम्पनी में नौकरी करते थे। लगभग चार वर्षों से ये सभी लोग लक्ष्मीनगर दिल्ली में ठगी का ऑफिस बनाये हुए हैं जो अब तक लगभग सम्पूर्ण भारत में हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. धीरज तंवर पुत्र श्री ईश्वर सिंह तंवर पता:एलजीएफ-4 टॉवर-1, पॉम वैली सोसाइटी थाना-बिसरख जनपद-गौतमबुद्ध नगर उम्र- 32 वर्ष शिक्षा-बीए पास,(कार्य- कॉल कर लोगों के साथ ठगी करना)
2. अक्षय पुत्र श्री अशोक कुमार पता: शिव मंदिर के पास गली नं0-2, बाबरपुर शाहदरा दिल्ली उम्र-30 वर्ष शिक्षा -12वीं पास (कार्य- कॉल सेंटर का संचालन करना)
3. पता हूमा खॉन पत्नी धीरज तंवर पता:एलजीएफ-4 टॉवर-1, पॉम वैली सोसाइटी थाना-बिसरख जनपद-गौतमबुद्ध नगर उम्र-25 वर्ष शिक्षा -12 वी पास (कार्य-फर्जी बैंक खातों के एटीएम, नेटबैंकिंग का लॉगइन अपने पास रखना, पैसा निकालने तथा पैसा ट्रांसफर करने का कार्य करना)

आपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0-2173/2021 धारा 406/386/506 भादवि व 66डी आईटी एक्ट दर्ज थाना- इन्द्रापुरम गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण:-

1. ठगी के पैसों से खरीदी गयी 01-अदद हुंडई ALCAZAR कार जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपये।
2. 04-अदद मोबाइल फोन,
3. 01 अदद पासबुक,
4. 125-अदद डाटा पेपर शीट,
5. 17-अदद चैक,

6. 97000/- रूपये नगद,

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री सुमित कुमार प्रभारी साइबर सैल गाजियाबाद,
2. उ0नि0 विशाल सिंह थाना-इन्द्रापुरम,
3. उ0नि0 अशोक कुमार साइबर सैल गाजियाबाद,
4. है0का0 325 सुभाष चन्द साइबर सैल,
5. है0का0 1494 अनिल कुमार साइबर सैल,
6. का0 3101 दीपक कुमार साइबर सैल,
7. का0 3103 सतेन्द्र साइबर सैल,
8. का0 2172 अमर कुमार साइबर सैल,
9. का0 2187 रविश शर्मा साइबर सैल,
10. का0 1302 विक्रान्त साइबर सैल,
11. का0 1289 मनवीर साइबर सैल,
12. का0 1423 रमन कुमार साइबर सैल,
13. महिला हो0गार्ड 1527 बीना सिंह थाना-इन्द्रापुरम,

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 अभि0गण गिरफ्तार, कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा व एक अपाचे मोटरसाइकिल चोरी की बरामद ।

दिनांक 13.10.2021

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री नागेन्द्र चौबे की टीम द्वारा दिनांक: 12.10.21 को समय 22.47 बजे मोहननगर चौराहे से लोनी वाली रोड पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद में अभि0गण रूपेश व मोहित को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 500 ग्राम अवैध गांजा तथा एक अपाचे चोरी की बरामद हुई।

अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0 गण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम लोग मोटर साइकिल चोरी करते हैं। हमे नशे की आदत है जिसके लिये हम चोरी की मोटर साइकिल बेचकर गांजा खरीदकर पीते व और गांजे को महँगे दामों में बेचते हैं। तथा मोटर साइकिल को छिपाने की नियत से मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट बदल देते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रूपेश पुत्र उमेश गिरी निवासी ए 2415 राजीव कालोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 24 वर्ष
2. मोहित पुत्र विनोद कुमार निवासी बी-1292 राजीव कालोनी मोहननगर थाना साहिबाबाद गा0बाद उम्र 25 वर्ष

अभि0 रूपेश उपरोक्त का अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 2080/2021 धारा 411/414/420 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
2. मु0अ0स0 2081/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

अभि0 मोहित का अपराधिक इतिहास

3. मु0अ0स0 2080/2021 धारा 411/414/420 भादवि थाना साहिबाबाद गाजियाबाद
4. मु0अ0स0 2082/2021 धारा 8/20 NDPS ACT थाना साहिबाबाद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री सुरेन्द्र सिंह
2. है०का०१४९ जवाहर सिंह
3. का०२८४४ गोविन्द सिंह
4. का०१८४८ संतोष कुमार

बरामदगी का विवरण:-

1. 500 ग्राम अवैध गांजा
2. अपाचे मोटरसाइकिल न० DL 7SBB 8501 व इंजन न० OE4D9Z174148 व चैसिस न० MD6341E4292D72834 चोरी की
3. फर्जी नम्बर प्लेट

मु०अ०सं०-408 / 2021 धारा 379 भादवि थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद में वॉछित अभियुक्त गिरफ्तार दिनांक 13.10.2021

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध वाहन/वांछित/व्यक्ति/रोकथाम जुर्म जरायम अभियान के क्रम में चलाये जा रहे अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी मोदीनगर के पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद, के नेतृत्व में डायल 112 की गाडी पीआरवी-2626 पर नियुक्त कर्मचारीगण का० 1481 गुड्डू राठी व का० 976 अरुण कुमार व वादी मुकदमा श्री सन्दीप त्यागी पुत्र श्री शिवचरण शर्मा निवासी ग्राम कुम्हैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना हाजा के मु०अ०सं०-408 / 2021 धारा 379 भादवि में वॉछित चल रहे अभियुक्त 1-मनोज पुत्र बेदीराम निवासी ग्राम कुम्हैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्त मनोज उपरोक्त द्वारा धारा 379 भादवि का अपराध कारित किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- मनोज पुत्र बेदीराम निवासी ग्राम कुम्हैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-का० 1481 गुड्डू राठी पीआरवी-2626 डायल 112 पर नियुक्त।
- 2-का० 976 अरुण कुमार पीआरवी-2626 डायल 112 पर नियुक्त।
- 3-वादी मुकदमा श्री सन्दीप त्यागी पुत्र श्री शिवचरण शर्मा निवासी ग्राम कुम्हैडा थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग:-

- 1-मु०अ०सं०-408 / 2021 धारा 379 भादवि थाना निवाडी गाजियाबाद
- 2-मु०अ०सं०-227 / 2019 धारा 138बी वि०अधि० थाना निवाडी गाजियाबाद
- 3-मु०अ०सं०-88 / 2015 धारा 110^{जी} द०प्र०सं० थाना निवाडी गाजियाबाद

